**न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर**
**पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰**

**प्रकरण संख्या 40 / 2017 (उदयपुर आर्डर)**

1. जय कुमार भट्ट पिता स्वर्गीय श्री गोवर्धनलाल भट्ट, निवासी 82, गणगौर घाट मार्ग, उदयपुर (राज.)
2. मयंक भट्ट दत्तक पुत्र स्वर्गीय श्री केसरीलाल भट्ट, निवासी 82, गणगौर घाट मार्ग, उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

**बनाम**

1. ब्रह्म विद्यालय स्थान उदयपुर उर्फ ब्रह्म विद्यालय स्थान उदयपुर, संस्कृत कॉलेज, चॉदपोल बाहर, उदयपुर (राज.)
2. राजकीय महाराणा आचार्य संस्कृत कॉलेज जरिये प्राचार्य महोदय, चॉदपोल बाहर, उदयपुर (राज.)
3. महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रोद्योगिकी विश्वविद्यालय जरिये कुलपति महोदय, उदयपुर (राज.)
4. भू–सम्पत्ति अधिकारी, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रोद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.)
5. जिला कलक्टर महोदय, उदयपुर (राज.)
6. भूमिधारी तहसीलदार, गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम 1956 विरूद्ध
निर्णय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा
12–10–2017 प्र0 सं0 231 / 2007

———/———

उपस्थित :– 1– श्री सत्य प्रकाश व्यास अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री अरूण व्यास अभिभाषक रेस्पो. संख्या 3 व 4
3– श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक 1, 2, 5, 6

———::———

**निर्णय** **दिनांक 18–06–2018**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट / प्रार्थीगण द्वारा रेस्पोन्डेन्ट / विपक्षीगण के विरूद्ध धारा 212

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित आदेश 39 नियम 1, 2 एवं धारा 151 जा.दी. का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी संख्या 1 के दादाजी के नाम इन्द्रलाल भट्ट था, जो जगदीश चौक उदयपुर के निवासी थे तथा प्रार्थी संख्या 2 के दादा का नाम गणेशलाल शर्मा था। गणेशलाल व इन्द्रलाल सगे भाई थे, जिसमें गणेशलाल बड़े व इन्द्रलाल छोटे भाई थे। प्रार्थीगण आपस में प्राकृतिक पिता पुत्र हैं, परन्तु प्रार्थी संख्या 2 को स्वर्गीय केसरीलाल ने गोद ले लिया था, इसलिए इस रिश्ते से आपस में चचेरे भाई हैं। श्री केसरीलाल प्रार्थी संख्या 1 के सगे बड़े ताउ थे मगर सन 1930 में गणेशलाल के गोद चले गये। इन्द्रलाल के दो पुत्र केसरीलाल व गोवर्धनलाल थे, दोनों का निधन हो चुका है। स्वर्गीय इन्द्रलाल राजस्व ग्राम आयड़ में कुल 28 आराजियात 1159 से 1184, 1224, 1225 रकबा 22 बीघा 1 बिस्वा के खातेदार दर्ज थे, परन्तु प्रार्थना पत्र 26 आराजियात 1159 से 1184 से संबंधित है, जिन्हें साकरो रहट उर्फ साकरिया रहट कुशलबाग के नाम से जाना जाता है। प्रार्थीगण के पूर्व श्री निर्भयराम जी मेवाड़ राजघराने में राज–ज्योतिषी थे, जिन्हें महारायण भीमसिंह जी ने संवत् 1860 के चैत्र सुदी द्वितीया गुरूवार के दिन उपरोक्त आराजियात भेट कर दी, जिसका शिलालेख तत्कालीन परिपाटी के अनुसार तैयार किया जाकर स्थापित किया गया। तत्पश्चात संवत 1861 को पटटा/ताम्रपत्र स्वर्गीय निर्भयराम जी के हक में निष्पादित कर दिया गया। श्री निर्भयराम से प्रार्थीगण के संबंध का सजरा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट ''क'' में वर्णित है। वादग्रस्त भूमि सन् 1930 के भू–प्रबन्ध में श्री इन्द्रलाल के नाम दर्ज होने का कारण यह रहा कि वे खानदान के सबसे बडत्रे पुरूष थे, क्योंकि गणेशलाल जी का संव् 1987 में ही देहान्त हो चुका था। उक्त भूमि में इन्द्रलाल व गणेशलाल दोनों का बराबर हिस्सा था। इसी प्रकार इन्द्रलाल के देहान्त के बाद केसरीलाल व गोवर्धनलाल का बराबर हिस्सा रहा और सम्पत्ति उनकी पैत्रृक थी। केसरीलाल जी जन्मान्ध थे और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 उपधारा 1 (ई) में वर्णित व्यक्ति थे। राजस्व अभिलेखों में बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के खातेदार इन्द्रलाल को सुनवाई का अवसर दिये बिना उनका नाम हटाकर विपक्षी संख्या 2 का नाम दर्ज कर दिया गया, जो गैर कानूनी है तथा बाद में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के बाद विपक्षी संख्या 4 के पूर्व हितधारी उदयपुर विश्वविद्यालय

का गठन होने के बाद सन् 1962 के आस पास नाजायज कब्जा कर लिया, जो बदस्तूर जारी है। वादग्रस्त भूमि के संबंध में शिलालेख जो संवत् 1860 से स्थापित है, प्रार्थीगण को अंदेशा है कि विपक्षीगण उसे मौके से हटाकर सबूत नष्ट कर देंगे इसलिए प्रार्थीगण विपक्षीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं। निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट ''ख'' में वर्णित भूमि विपक्षी संख्या 4 के नाम हस्तान्तरित/ नामान्तरित नहीं करें तथा इस संबंध में किसी प्रकार का कोई विलेख निष्पादित/पंजीकृत नहीं करें तथा 1860 के शिलालेख को वादग्रस्त भूमि से नहीं हटावें इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान की जावे तथा अन्य विधिक अनुतोष दिलाया जावे।

प्रकरण में विपक्षी संख्या 4 व 5 की ओर से खण्डन का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी ने केवल मात्र वाद आधार बनाने के लिए इस प्रकार के कथन प्रार्थना पत्र में अंकित किये हैं। स्वर्गीय इन्द्रलाल ने प्रार्थना पत्र वर्णित भूमि पंडित श्री राव बहादुर सरसुख देव प्रसाद को दिनांक 10–09–1935 को 3400/– रूपये में विक्रय की तथा विक्रय पत्र पंजीकृत कराया। इसलिए प्रार्थीगण का उक्त भूमि में कोई हक व अधिकार नहीं रहा। पंडित श्री राव बहादुर सरसुख देव प्रसाद द्वारा भूमि क्रय करने के पश्चात उनके पुत्र पंडित श्री राव बहादुर धर्मनारायण जी ने महाराणा संस्कृत कॉलेज, उदयपुर को गरीब छात्रों के खाने व कपड़ो की जरूरतों को पूरा करने के लिए दिनांक 13–03–1936 में दान कर दी। उसके पश्चात उक्त भूमि का मालिकाना हक महाराणा संस्कृत कॉलेज, उदयपुर के पास है। उत्तरदाता विपक्षीगण ने उक्त भूमि विपक्षी संख्या 2 से 2000/– मासिक किराये पर ली है एवं इस भूमि पर काबिज है। प्रार्थीगण का उक्त भूमि में किसी प्रकार का स्वत्व व अधिकार नहीं है तथा उनके द्वारा वाद मियाद बाहर प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि इन्द्रलाल जी ने सन् 1935 में ही उक्त भूमियों का पंजीकृत विक्रय विपक्षीगण के पूर्वाधिकारी को कर दिया था। प्रार्थीगण किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। ताईद में छगनलाल यादव, भू–सम्पदा अधिकारी का शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

इसी प्रकार विपक्षी संख्या 2 व 3 की ओर से भी खण्डन का जवाब प्रस्तुत किया गया एवं निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि का पंजीकृत विक्रय

इन्द्रलाल जी द्वारा पंडित श्री राव बहादुर सरसुख देव प्रसाद को दिनांक 10–09–1934 को 3400/– रूपये में कर कब्जा सिपुर्द कर दिया गया इसलिए प्रार्थीगण का उक्त भूमि में कोई हक व अधिकार नहीं रहा। उक्त भूमि पंडित श्री राव बहादुर सरसुख देव प्रसाद द्वारा क्रय करने के पश्चात उनके पुत्र पंडित श्री राव बहादुर धर्मनारायण जी ने महाराणा संस्कृत कॉलेज, उदयपुर को गरीब छात्रों के खाने व कपड़ो की जरूरतों को पूरा करने के लिए दिनांक 13–03–1936 में दान कर दी। तब से उक्त भूमि का मालिकाना हक महाराणा संस्कृत कॉलेज, उदयपुर के पास है, जो जमाबन्दी संवत् 2015 से 2018 में विधिवत दर्ज है। प्रार्थीगण किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं।

प्रकरण में उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 06–09–2007 को प्रस्तुत होने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा एकतरफा अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश जारी किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र दायरी वर्ष 2007 के बाद पत्रावली वर्ष 2011 से लेकर दिनांक 18–09–2017 तक बहस में चलती रही। दिनांक 18–09–2017 को दिनांक 25–09–2017 के लिए पत्रावली बहस हेतु मुकर्रर की गयी। इसके पश्चात पुनः दिनांक 05–10–2017 के लिए पत्रावली बहस हेतु मुकर्रर की गयी तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों को दिनांक 12–10–2017 को सुनने के बाद दिनांक 06–09–2007 को जारी एकतरफा अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज कर दी।

अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 12–10–2017 से रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थीगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 04–12–2017 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1, 2, 5 व 6 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 व 4 की ओर से वकील श्री अरूण व्यास उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट में अपील मीमों में ही वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराया एवं अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ

न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट ने प्रमुख उजर यह लिया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 06–09–2007 को अन्तरिम निषेधाज्ञा तथ्यों को सुनकर एवं समझकर दस्तावेजों के आधार पर जारी की गयी। दिनांक 12–10–2017 को मूल वाद की पेशी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र विचाराधीन था। मूल वाद के प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा एक प्रार्थना पत्र दस्तावेज को रेकार्ड पर लेने का प्रस्तुत किया गया जो रेकार्ड पर लेने हेतु सुनवाई बाबत् नियत था, परन्तु मूल वाद की सुनवाई किये बिना ही अधिनस्थ न्यायालय ने अत्यन्त जल्दबाजी में अस्थाई निषेधाज्ञा बिना गुणावगुण पर सुने निरस्त कर दी। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त प्रकरण बहस में था ही नहीं इसके बावूजद अधिनस्थ न्यायालय ने सुमोटो निर्णय लेकर 10 वर्ष पूर्व दिये गये स्थगन को अचानक आगे न बढ़ाने का निर्णय लिया, जबकि ऐसा कोई प्रार्थना पत्र प्रत्यर्थी की ओर से लगाया ही नहीं गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बहस सुने जाने का अंकन भी त्रुटि पूर्ण किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटि पूर्ण होकर अपास्त योग्य है।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो प्रकट आया कि अधिनस्थ न्यायालय प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि प्रकरण दिनांक 12–12–2011 से दिनांक 12–10–2017 तक अर्थात करीब 6 वर्षो तक बहस में लम्बित रहा है, जबकि आदेश 39 नियम 3–ए जा.दी. में निम्नानुसार वर्णन किया गया है :–

''जहां कोई व्यादेश विरोधी पक्षकार को सूचना दिये बिना दिया गया है वहां न्यायालय आवेदन को ऐसी तारीख से जिसको व्यादेश दिया गया था, तीस दिन के भीतर निपटाने का प्रयास करेगा और जहां वह ऐसा करने में असमर्थ है वहां वह ऐसी असमर्थता के लिए कारण अभिलिखित करेगा।''

तद्नुसार यह वर्णित किया गया है कि जहां कोई अन्तरित अस्थाई निषेधाज्ञा पक्षकारों को बिना सुने दी गयी है वहां तीस दिन के भीतर निपटाने का प्रयास करना चाहिए। अर्थात अधिनस्थ न्यायालय का यह उत्तरदायित्व था कि तीस दिवस के भीतर उक्त अन्तरित अस्थाई निषेधाज्ञा

का निपटारा करते। वहीं आदेश 39 नियम 4 में निम्नानुसार वर्णित किया गया है :–

''व्यादेश के किसी भी आदेश को उस आदेश से असन्तुष्ट किसी भी पक्षकार द्वारा न्यायालय से किये गये आवेदन पर उस न्यायालय द्वारा प्रभावोन्मुक्त, उसमें फेरफार या उसे अपास्त किया जा सकेगा। (परन्तु यदि अस्थाई व्यादेश के लिए किसी आवेदन में या ऐसे आवेदन का समर्थन करने वाले किसी शपथ पत्र में किसी पक्षकार ने किसी तात्विक विशिष्ट के सम्बन्ध में जानते हुए मिथ्या या भ्रामक कथन किया है और विरोधी पक्षकार को सूचना दिये बिना व्यादेश दिया गया था तो न्यायालय व्यादेश को उस दशा में रद्द कर देगा जिसमें वह अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से यह समझता है कि न्याय के हित में ऐसा करना आवश्यक नहीं है। परन्तु यह और कि जहां किसी पक्षकार को सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात व्यादेश के लिए आदेश पारित किया गया है वहां ऐसे आदेश को उस पक्षकार के आवेदन पर तब तक प्रभावोन्मुक्त, उसमें फेरफार या अपास्त नहीं किया जायेगा जब तक परिस्थितियों के बदल जाने से ऐसा प्रभावोन्मुक्त, फेरफार या अपास्त किया जाना आवश्यक न हो गया हो या जब तक न्यायालय का यह समाधान नहीं हो जाता कि आदेश से उस पक्षकार को असम्यक् कष्ट हुआ है।)

यहां न्यायालय पर यह उत्तरदायित्व था कि एकतरफा दिये गये अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश के तीस दिन के भीतर उक्त एकतरफा अस्थाई निषेधाज्ञा का निपटारा करते। प्रकरण में वर्ष 2007 में पेश शुदा अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना को प्रथम पेशी पर ही एकतरफा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी गयी। पत्रावली 4 वर्षो बाद अर्थात 2011 में बहस में आयी तथा 2017 तक अर्थात 6 वर्षो तक बहस में चलती रही, जो निसंदेह खेदजनक है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश 39 नियम 3–ए एवं आदेश 39 नियम 4 के तहत प्रकरण का निर्णय किया जाना वांछनीय था। प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष यह सुस्पष्ट स्थिति थी कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 उक्त भूमि के रेकार्डेड खातेदार हैं तथा अपीलान्ट/प्रार्थीगण का प्रमुख आधार उक्त भूमि पूर्व में उनके पूर्वज इन्द्रलाल के नाम दर्ज होना रहा है तथा बिना किसी आधार के उक्त भूमियां विपक्षीगण के नाम दर्ज हो जाने का कथन किया है। इसके विपरीत रेस्पोन्डेन्ट/विपक्षीगण द्वारा यह वर्णित किया

गया है तथा दस्तावेज भी प्रस्तुत किये हैं कि इन्द्रलाल द्वारा उक्त भूमियों का रजिस्टर्ड विक्रय दिनांक 10–09–1935 में ही श्री राय बहादुर सर सुखदेव प्रसाद जी को कर दिया गया था तथा उसके पुत्र राय बहादुर पंडित धर्मनारायण द्वारा दिनांक 13–03–1936 को उक्त भूमि संस्कृत विद्यालय को गरीब बच्चों के हितार्थ दान कर दी गयी थी। अर्थात अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष यह रेकार्ड एवं साक्ष्य भी प्रथम दृष्टया उपलब्ध थी कि प्रार्थीगण के पूर्वाधिकारी इन्द्रलाल का नाम अकारण नहीं हटाया गया है। अधिनस्थ न्यायालय में आदेश 39 नियम 4 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि आदेश 39 नियम 3–ए अनुसार तीस दिवस में एकतरफा अस्थाई निषेधाज्ञा का निपटारा किया जाना वांछनीय था, जिसे जारी हुए 10 वर्ष गुजर चुके थे तथा अधिनस्थ न्यायालय ने जो स्थगन जारी किया है उसमें रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने का आदेश है। प्रथम दृष्टया बरूऐ रेकार्ड इन्द्रलाल जी द्वारा सन् 1935 में ही भूमियों का रजिस्टर्ड विक्रय किया जा चुका, जिसके खण्डन में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा न्याय संगत रूप से आदेश 39 नियम 4 के तहत शपथ पत्र में मिथ्या एवं भ्रामक कथनों को पाते हुए उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा जो कि सिर्फ रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने हेतु थी तथा रेकार्ड से जब से सुस्पष्ट है कि अपीलान्ट के पूर्वज जिनके नाम भूमि दर्ज थी, उनके द्वारा वर्ष 1935 में अर्थात वाद दायरी के 71 वर्ष पूर्व ही पंजीकृत विक्रय विलेख से भूमि का विक्रय किया जा चुका है तो इतने लम्बे अन्तराल के बाद रेकार्डेड खातेदार विपक्षीगण को रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिए, जबकि अस्थाई निषेधाज्ञा 10 वर्षो से प्रचलित है, उसे प्रभावी रखे जाने की कोई विधिक विधिकता नहीं थी एवं यह भी सुस्पष्ट होता है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश 39 नियम 3–ए तथा आदेश 39 नियम 4 के तहत तथ्यों को देखते हुए करीब 70 वर्षो से स्वत्व शुदा व्यक्ति/संस्था को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का कोई औचित्य नहीं था, विशेष रूप से 10 वर्षो से उसे पाबन्द रखे जाने का कोई औचित्य नहीं था। यदि इस दौरान रेकार्ड की कोई स्थिति परिवर्तित भी होती है तो भी धारा 144 जा.दी. के तहत उसे रेस्टोर किया जा सकता है। अपीलान्ट के लिए यह उचित था कि अन्तरित अस्थाई निषेधाज्ञा की अपील करने के स्थान पर उक्त प्रकरण में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को निरस्त कराने की कार्यवाही

करते, क्योंकि प्रकरण में अंतिम बहस जिसके लिए पत्रावली नियत है, उस पर बहस कर प्रकरण का नातिक निस्तारण किया जाना अधिक उपादेय एवं श्रेयस्कर होता। अपीलान्ट द्वारा अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा की अपील किया जाना यह इंगित करता है कि उसके द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र का निस्तारण करवाये जाने के स्थान पर अधिक रूचि अन्तरित अस्थाई निषेधाज्ञा को बनाये रखना है, जिसे कदापि विधिक नहीं माना जा सकता। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा 10 वर्षो से प्रचलित अन्तरित अस्थाई निषेधाज्ञा को निस्तारित किये जाने के लिये जो विधिक कार्यवाही की गयी है, उसे हम उचित पाते हैं एवं उसमें किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं एवं अपीलान्ट से यह आग्रह करना चाहेंगे कि अन्तरित अस्थाई निषेधाज्ञा को 10 वर्षो तक जारी रखने के बाद भी उसे निरन्तर रखने के स्थान पर अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण का गुणावगुण पर अधिनस्थ न्यायालय में बहस कर निस्तारण करावे।

उपरोक्त विवेचन अनुसार यह अपील तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से पोषणीय नहीं है। अतएवं अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 12–10–2017 यथावत रखा जाता है।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 18–06–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**(एल.एन. मंत्री)**
**भू–प्रबन्ध अधिकारी**
**एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी**
**उदयपुर**